पत्र संख्या–3 / सी.1–5015 / 97 ...1699... /

बिहार सरकार,

सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग।
सभी विभागाध्यक्ष।
संभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 05.05. 2010

विषय :– तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों की श्रेणी में रखने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका (1) (ग) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है। तद्नुसार मृत सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया है। इसके पश्चात् पत्रांक–517 दिनांक 12.05.2005 के तहत कुछ शर्तों के अधीन दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री को आश्रित की श्रेणी में रखने का निर्णय लेते हुए इस हद तक ज्ञापांक–13293 दिनांक 05.10.91 को संशोधित किया गया। पत्रांक–7146 दिनांक 31.10.08 के तहत यह निर्णय भी संसूचित है कि अविवाहित मृत सरकारी सेवक के मामलों में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जायेगा । परन्तु तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री को आश्रित की श्रेणी में माने जाने का निर्णय अभी तक नहीं हो सका था। इस संबंध में विधिक परामर्श लिया गया है जिसमें तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री को भी मृत सरकारी सेवक के आश्रित की श्रेणी में रखना अपेक्षित बताया गया है।

अतः विधिक परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मृत सरकारी सेवक की तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना जायेगा, वशर्ते कि तलाक / विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अलावे वह एकमात्र आश्रित हो। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक–13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका–(1) (ग) को उपर्युक्त हद तक तदनुसार संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

5/5/10

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

D:\Sec 3\Rawat Jee\04-01-2010 Section-3.docx